



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Allganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/06/35/2015/एफ.सी. / 629

दिनांक: 08.05.2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/10911/2015

विषय: Diversion of 2.27 ha. of forest land for construction of road from Hinglot to Madnakheri in Rajasthan in Baran Forest Division.

सन्दर्भ: आपका पत्रांक एफ.14()/2015/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/835, दिनांक 03.03.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.07.2019 द्वारा 2.27 हे० गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित योजना वर्तमान दरों पर प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से 1.53 हे० पर 700 पौधे प्रति हेक्टेअर की दर से प्रेषित की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वन (संरक्षण) अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

अतः मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में 2.27 हे० गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित योजना वर्तमान दर पर वन (संरक्षण) अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, जिला बारां, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०, खण्ड-छावड़ा, जिला बारां, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक, (केन्द्रीय)

उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत में निम्नानुसार
निवेदन है कि MoEF & CC, Regional office (Central Region)
से प्राप्त EDS का प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्रेषित हो
सक सके।
APCCF (PCA)
Shubham Jain
14/05/2020 Forests